NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-10-2025

विषय सूची

» सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में वन अधिकार अधिनियम का बचाव
» DAY-NRLM: गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक
» वैश्विक ऋण संकट से निपटने के लिए सेविला फोरम का शुभारंभ
» संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी (EW4All) पहल
» भारत द्वारा अपनी नवीकरणीय क्रांति को नए रूप में परिभाषित

संक्षिप्त समाचार

» आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
» ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली
» भारतीय रेलवे द्वारा रीयल-टाइम हीट-मैपिंग और भीड़ नियंत्रण प्रणाली लागू
» क्वांटम इकोज़ एल्गोरिथम
» रक्षा खरीद मैनुअल (DPM)
» कसावा/टैपिओका फसलें
» "मीथेन पर एक दृष्टि: मापन से गति की ओर" का पाँचवाँ संस्करण"
» अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025
» गुलदाउदी के फूल या गुल-ए-दाऊद
» खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में वन अधिकार अधिनियम का बचाव

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act - FRA), 2006 का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कानून भारत की वन-निर्भर समुदायों की गरिमा, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- FRA को 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में वाइल्डलाइफ फर्स्ट नामक एक NGO द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने उन लोगों की बेदखली की मांग की थी जिनके FRA दावे खारिज कर दिए गए थे।
- फरवरी 2019 में, न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन सभी दावेदारों को बेदखल करें जिनके FRA दावे खारिज किए गए थे।
- इस आदेश के बाद पूरे भारत में आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज समूहों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
- इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने हस्तक्षेप किया और दावों की जांच एवं स्वीकृति में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया।
- न्यायालय ने बेदखली आदेश पर रोक लगाई और दावों की अस्वीकृति पर विस्तृत डेटा मांगा।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (FRA) कहा जाता है, को वन-निवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए लागू किया गया था।
- यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार (CFRs) प्रदान करता है, जिन्होंने पीढ़ियों से जंगलों में जीवन बिताया है लेकिन जिनके अधिकारों को औपचारिक रूप से कभी दर्ज नहीं किया गया।
- यह अधिनियम ग्राम सभाओं को निम्नलिखित अधिकार देता है:
  - वन भूमि और संसाधनों पर दावों की पहचान और सत्यापन करना।
  - वन संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण करना।
  - बांस, तेंदू पत्ता, लाख, शहद और मोम जैसे लघु वन उपज (MFP) तक पहुंच को नियंत्रित करना।

FRA का महत्व

- पारंपरिक स्वामित्व और पहुंच अधिकारों को मान्यता देकर वन समुदायों को सशक्त बनाता है।
- सहभागी वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय लोगों की उपेक्षा कम होती है।
- वन संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है।
- ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत वन शासन को सुदृढ़ करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति का संवर्धन) जैसे मूल्यों के अनुरूप है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- **क्रियान्वयन में देरी**: नौकरशाही की अक्षमता के कारण कई दावे वर्षों से लंबित हैं।
- **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी**: ग्राम सभा, उप-मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी से सत्यापन धीमा होता है।
- **वन और वन्यजीव कानूनों से टकराव**: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के साथ ओवरलैप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **शोषण का खतरा**: यदि निगरानी कमजोर हो तो लघु वन उपज (MFP) का व्यावसायीकरण हो सकता है।

- **संरक्षण लक्ष्यों के साथ सीमित एकीकरण**: FRA का क्रियान्वयन कभी-कभी सख्त संरक्षण नीतियों से टकराता है, जिससे आजीविका और पारिस्थितिकी के उद्देश्यों में तनाव उत्पन्न होता है।
- **डेटा और निगरानी की समस्याएं**: डिजिटाइज्ड और सुलभ रिकॉर्ड की कमी से विवाद एवं गलत अस्वीकृति होती है।
  - दावों को ट्रैक करना और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन होता है।

आगे की राह

- MoTA और MoEFCC के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से क्रियान्वयन को सुदृढ़ करें।
- ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों की क्षमता निर्माण करें ताकि वे दावों की जांच एवं सतत प्रबंधन कर सकें।
- रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करें ताकि देरी रोकी जा सके और दावों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- FRA को राष्ट्रीय संरक्षण रणनीतियों के साथ एकीकृत करने को प्रोत्साहित करें ताकि "सह-अस्तित्व के माध्यम से संरक्षण" मॉडल को सुदृढ़ता मिले।

Source: IE

DAY-NRLM: गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक

संदर्भ

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) विश्व के सबसे बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है।

मिशन के बारे में

- **प्रारंभ**: इसे 2010 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था।
  - इस पहल को 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) नाम दिया गया।
- **उद्देश्य**: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और कौशल आधारित वेतन रोजगार के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- **महिला केंद्रित मॉडल**: यह मिशन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और संघों के माध्यम से ऋण, बाजार एवं तकनीक से जोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

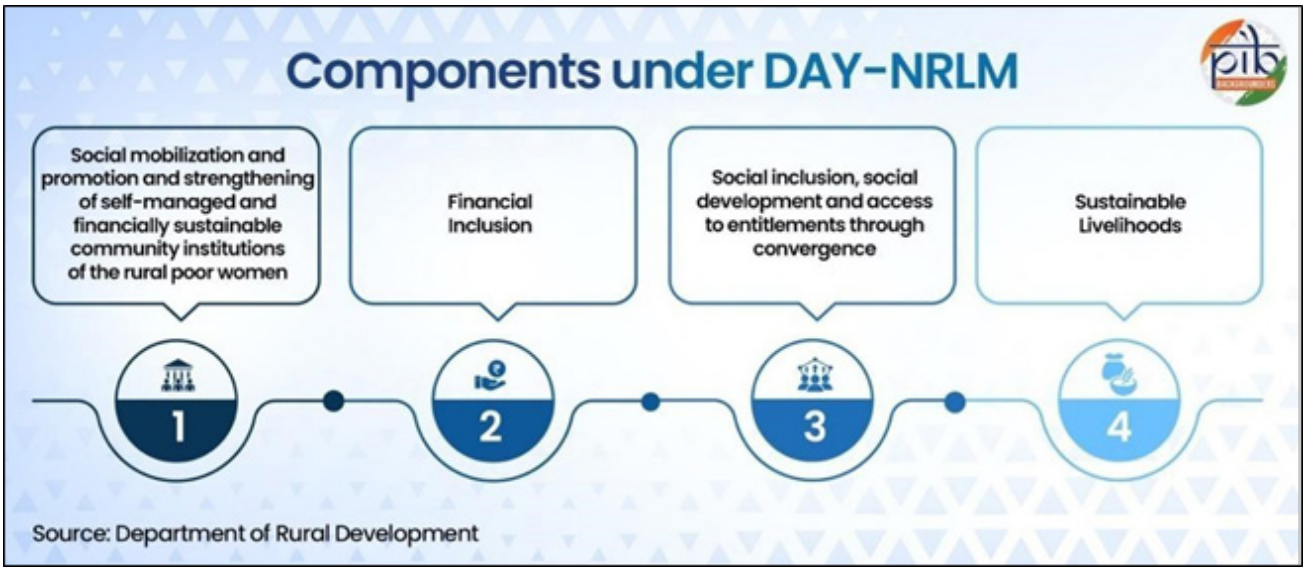

DAY-NRLM का क्रियान्वयन

- **सामुदायिक संस्थाएं**: DAY-NRLM गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुदृढ़ संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के निर्माण को प्रोत्साहन देता है।
  - ये संस्थाएं उन्हें दीर्घकालिक सहयोग प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, आय बढ़ा सकें और जीवन की गुणवत्ता सुधार सकें।
  - SHG की महिलाओं को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है – जैसे कृषी सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंकिंग संवाददाता सखी आदि।
- **उद्यमिता संवर्धन**: यह मिशन हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) जैसी उप-योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देता है।
- **कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम**: मंत्रालय DAY-NRLM के अंतर्गत दो केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू करता है:
  - **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)**: 15–35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।
    - जून 2025 तक कुल 17.50 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 11.48 लाख को रोजगार मिला है।
  - **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)**: 18–50 वर्ष के युवाओं के लिए बैंक प्रायोजित केंद्र हैं जो उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्वरोजगार एवं वेतन रोजगार को बढ़ावा देते हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण लागत के लिए वित्तीय सहायता भी देते हैं।
    - जून 2025 तक कुल 56.69 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 40.99 लाख को रोजगार मिला है।
- **कौशल विकास में अग्रणी राज्य**: उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक।

मिशन की उपलब्धियाँ

- पूरे भारत में 90.9 लाख SHGs के माध्यम से 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को संगठित किया गया।
- उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से 4.6 करोड़ महिला किसानों और 3.74 लाख उद्यमों को समर्थन दिया गया।
- DDU-GKY के अंतर्गत 17.5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 11.48 लाख को रोजगार मिला।
- ग्रामीण वित्तीय समावेशन और ऋण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 47,952 बैंक सखियों की तैनाती की गई।
- कृषि, गैर-काष्ठ वन उत्पाद, पशुपालन और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से सतत आजीविका को बढ़ावा दिया गया।
- DAY-NRLM के तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।

निष्कर्ष

- महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सतत आजीविका पर बल देने के साथ, DAY-NRLM समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में खड़ा है।
- ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी, नेता और परिवर्तनकारी बनाने के माध्यम से यह मिशन भारत के गांवों में समावेशी एवं लचीली वृद्धि को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

Source: PIB

वैश्विक ऋण संकट से निपटने के लिए सेविला फोरम का शुभारंभ

संदर्भ

- जिनेवा में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD16) में एक नई वैश्विक पहल, सेविला फोरम ऑन डेट (Sevilla Forum on Debt) की शुरुआत की गई।

सेविला फोरम के बारे में

- यह फोरम, स्पेन के नेतृत्व में और UNCTAD तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) के सहयोग से, संप्रभु ऋण की चुनौतियों पर संवाद तथा समन्वित कार्रवाई के लिए एक स्थायी, समावेशी मंच बनाने का लक्ष्य रखता है।
- यह चौथे अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन (FfD4) के पहले ठोस परिणामों में से एक है और व्यापक सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का हिस्सा है, जो सेविला कमिटमेंट को क्रियान्वित करता है।
  - सेविला कमिटमेंट विकास वित्त को सुदृढ़ करने और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।

वैश्विक ऋण स्तर में वृद्धि

- UNCTAD के अनुसार, वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 में रिकॉर्ड $102 ट्रिलियन तक पहुंच गया।
  - इसमें से $31 ट्रिलियन ऋण विकासशील देशों का था।
  - इन देशों ने सामूहिक रूप से $921 बिलियन ब्याज भुगतान किया, जो कई मामलों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय से अधिक था।
- विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों ने 2023 में अपने विदेशी ऋण की सेवा के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन व्यय किया, क्योंकि ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
  - वर्तमान में, आधे से अधिक विकासशील देश अपनी सरकारी राजस्व का कम से कम 8% ब्याज भुगतान में व्यय करते हैं, जो विगत दशक में दोगुना हो गया है।
- यह अस्थिर ऋण प्रवृत्ति सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति को खतरे में डालती है और व्यापक संप्रभु ऋण सुधार की मांग को तीव्र करती है।

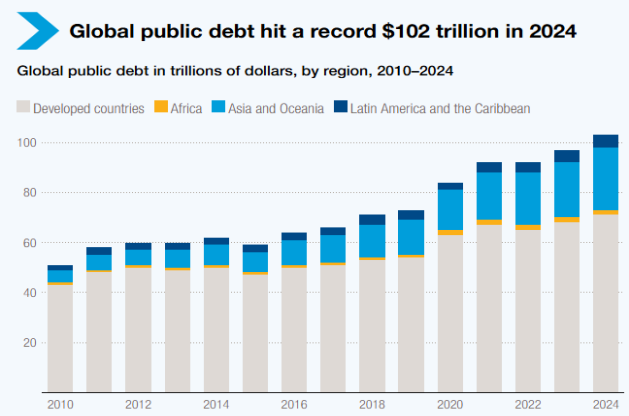

भारत का सार्वजनिक ऋण

- भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात 2005-06 में 81% से 2021-22 में 84% तक थोड़ा ही बढ़ा है, और 2022-23 में फिर से 81% पर आ गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 के अनुसार, सामान्य सरकारी ऋण को 2024-25 तक GDP के 60% तक लाया जाना था।
- IMF का कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सामान्य सरकारी ऋण (केंद्र और राज्य सहित) 2028 तक GDP का 100% हो सकता है।
- IMF ने 2024-25 के लिए यह अनुपात 82.4% अनुमानित किया है।

ऋण भार में योगदान देने वाले कारक

- **तेल मूल्य आघात(1970 का दशक)**: 1970 के दशक में भू-राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से 1973 के अरब तेल प्रतिबंध के कारण तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।
  - तेल आयात करने वाले विकासशील देशों को बढ़ते आयात बिलों के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
- **पेट्रोडॉलर पुनर्चक्रण**: तेल निर्यातक अरब देशों ने अपने अधिशेष "पेट्रोडॉलर" पश्चिमी बैंकों में जमा किए।
  - ये धन विकासशील देशों को ऋण के रूप में दिए गए, जिससे वे उच्च तेल कीमतें वहन कर सके और पश्चिमी निर्यात खरीदना जारी रख सके।
  - इस प्रणाली ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन दिया, जिससे फैक्ट्रियाँ चालू रहीं और मंदी से बचा जा सका।

- **निजी ऋण का उदय**: निजी पश्चिमी बैंकों ने आधिकारिक स्रोतों (जैसे सरकारें या IMF) को पीछे छोड़ते हुए ऋण देना शुरू किया।
  - 1982 तक, बैंक वार्षिक $63 बिलियन ऋण दे रहे थे—जो आधिकारिक ऋण का लगभग दोगुना था।
  - इसके परिणामस्वरूप कई विकासशील देशों ने 1970 के दशक में तीव्र आर्थिक वृद्धि देखी।
- **ऋण संकट (1980 का दशक)**: 1980 के दशक में वैश्विक मंदी और उच्च ब्याज दरों ने विकासशील देशों को ऋण चुकाने में कठिनाई में डाल दिया।
  - उन्होंने केवल ब्याज चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेना शुरू कर दिया—एक क्लासिक ऋण जाल।
- **उच्च ब्याज दरें**: UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील क्षेत्र अमेरिका की तुलना में 2-4 गुना और जर्मनी की तुलना में 6-12 गुना अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं।
  - इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील देशों को "उच्च जोखिम वाले वातावरण" के रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने की लागत अधिक होती है।

बढ़ते ऋण की चिंताएँ

- **जलवायु कार्रवाई पर प्रभाव**: विकासशील देशों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक जलवायु निवेश को वर्तमान 2.1% से बढ़ाकर 6.9% GDP करना होगा।
  - लेकिन वे वर्तमान में जलवायु निवेश से अधिक ब्याज भुगतान पर व्यय कर रहे हैं।
- **ऋण संकटों के समाधान की लागत में वृद्धि**: ऋणदाताओं के आधार की बढ़ती जटिलता ऋण पुनर्गठन को कठिन बना देती है, क्योंकि इसमें विभिन्न हितों और कानूनी ढाँचों वाले अधिक ऋणदाताओं से वार्ता करनी पड़ती है।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में असमानताएँ**: निजी स्रोतों से वाणिज्यिक शर्तों पर ऋण लेना बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से रियायती वित्तपोषण की तुलना में अधिक महंगा होता है।
  - उच्च ऋण वाले देश स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय कम कर देते हैं, जिससे गरीबी एवं असमानता बढ़ सकती है।

आगे की राह

- **उत्तरदायी ऋण लेना और देना बढ़ावा दें**: देशों को वित्तीय विवेक अपनाने और उच्च लागत वाले वाणिज्यिक ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए प्रोत्साहित करें।
- **हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाएँ**: बहुपक्षीय संस्थानों, द्विपक्षीय ऋणदाताओं, निजी बैंकों और ऋण लेने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।
- **विकास लक्ष्यों से ऋण राहत को जोड़ें**: ऋण अदला-बदली और राहत उपायों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और सतत बुनियादी ढाँचे में निवेश से जोड़ें।

Source: DTE

संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी (EW4All) पहल

समाचार में

- जिनेवा में आयोजित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की असाधारण कांग्रेस में, इसके 193 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी" (EW4All) पहल के अंतर्गत 2027 तक सार्वभौमिक प्रारंभिक चेतावनी कवरेज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एक समन्वित दृष्टिकोण है जो खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारी को जोड़ती है ताकि जीवन, आजीविका और जोखिम में पड़ी संपत्तियों को बचाने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी" (EW4All) पहल

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित EW4All पहल की शुरुआत 2022 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई थी।

- इसका नेतृत्व WMO, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का अंतर्राष्ट्रीय संघ (IFRC) कर रहे हैं।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति — चाहे वह कहीं भी रहता हो — चक्रवात, बाढ़, हीटवेव या सूखे जैसे खतरों के लिए जीवन रक्षक चेतावनियों से सुरक्षित हो।
- EW4All पहल का लक्ष्य मौसम, जल और जलवायु से संबंधित खतरों — जैसे चक्रवात, बाढ़, हीटवेव और सूखा — के बढ़ते खतरे से निपटना है।
- यह पहल प्रारंभिक चेतावनी की पूरी "मूल्य श्रृंखला" को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है:
  - खतरों की निगरानी और पूर्वानुमान
  - जोखिमों का मूल्यांकन
  - चेतावनियों का प्रसार
  - यह सुनिश्चित करना कि समुदाय उन पर कार्रवाई कर सकें

प्रारंभिक चेतावनी की आवश्यकता

- समय पर चेतावनी (24 घंटे के भीतर) आपदा से होने वाले नुकसान को 30% तक कम कर सकती है।
- जिन देशों में बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं है, वहां आपदा मृत्यु दर छह गुना अधिक और प्रभाव चार गुना अधिक होता है।
- 1970 से अब तक, चरम मौसम घटनाओं से वैश्विक स्तर पर आर्थिक हानि US$4 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है।

चुनौतियाँ

- प्रगति के बावजूद, गंभीर असमानताएँ बनी हुई हैं:
  - 2024 तक, केवल 108 देशों के पास बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की कुछ क्षमता है— 2014 में यह संख्या 52 थी।
  - सबसे कम विकसित देश (LDCs), छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), और संघर्ष प्रभावित क्षेत्र अत्यधिक जोखिम में हैं।
  - जिन देशों में पर्याप्त प्रणाली नहीं है, वहां आपदा मृत्यु दर छह गुना अधिक है और चार गुना अधिक लोग प्रभावित होते हैं।
  - तकनीकी बाधाओं में कमजोर निगरानी नेटवर्क, सीमित डेटा साझाकरण, अपर्याप्त वित्तपोषण और समुदायों में विश्वास व समझ की कमी शामिल हैं।
  - विगत 50 वर्षों में जलवायु से संबंधित आपदाओं ने 2 मिलियन लोगों की जान ली है, जिनमें से 90% विकासशील देशों में थे।

प्रगति

- EW4All पहल ने वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित किया है:
  - WMO की 2025 कांग्रेस में 193 सदस्य देशों ने 2027 तक सार्वभौमिक कवरेज के लिए एक कॉल टू एक्शन को समर्थन दिया।
  - देश-नेतृत्व वाले मूल्यांकन और साझेदारियाँ खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान और शासन में सुधार ला रही हैं।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ एकीकरण व्यापक संयुक्त राष्ट्र लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।

सुझाव

- 2027 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र और WMO ने निम्नलिखित आह्वान किया है:
  - प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को राष्ट्रीय जलवायु और आपदा नीतियों में शामिल करना
  - दीर्घकालिक, पूर्वानुमेय वित्तपोषण सुनिश्चित करना
  - राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाओं को स्पष्ट अधिकार देना
  - समावेशी संचार के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान को मिलाना
  - पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए AI और नवाचार का उपयोग करना

Source :DTE

भारत द्वारा अपनी नवीकरणीय क्रांति को नए रूप में परिभाषित

संदर्भ

- भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र विस्तार से आगे बढ़ते हुए अब एक सशक्त, स्थिर और लचीली प्रणाली के निर्माण की दिशा में अग्रसर है, ताकि 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य को समर्थन मिल सके।

परिचय

- विगत दशक में भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) ~35 GW (2014) से बढ़कर आज ~197 GW से अधिक हो गई है।
- भारत प्रत्येक वर्ष 15–25 GW नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ता है — यह दर विश्व में सबसे तीव्र दरों में से एक है।
- वर्तमान में ध्यान "क्षमता वृद्धि" से हटकर "क्षमता समावेशन" पर है — अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड, बाजार और प्रणाली संरचना में सहजता से एकीकृत किया जा सके।

नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता निर्माण

- नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता निर्माण का तात्पर्य उन कौशलों, ज्ञान, अवसंरचना, संस्थानों और प्रणालियों के विकास से है जो नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों की योजना, तैनाती, संचालन एवं रखरखाव को प्रभावी ढंग से सक्षम बनाते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि मानव संसाधन, तकनीकी क्षमताएं और संस्थागत ढांचे स्वच्छ ऊर्जा की तीव्र परिवर्तन प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए तैयार हों।

क्षमता निर्माण की आवश्यकता

- **ग्रिड समावेशन**: जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ती है, ग्रिड ऑपरेटरों को सौर एवं पवन स्रोतों की अनियमितता और विविधता को प्रबंधित करने के लिए कौशल तथा प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता**: बैटरी भंडारण, अपतटीय पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं जैसी उन्नत तकनीकों के डिज़ाइन, स्थापना और रखरखाव के लिए कुशल जनशक्ति आवश्यक है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण**: राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को बड़े पैमाने की नवीकरणीय और ट्रांसमिशन परियोजनाओं की योजना, विनियमन एवं क्रियान्वयन की क्षमता चाहिए।
- **स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र**: तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता निर्माण घरेलू उत्पादन को समर्थन देता है तथा आयात पर निर्भरता को कम करता है।
- **नीति और नियामक क्षमता**: निरंतर कौशल उन्नयन से नीति निर्माताओं और नियामकों को बदलते बाजारों के अनुसार अनुकूलन में सहायता मिलती है।
- **समुदाय और कार्यबल की भागीदारी**: स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण से रोजगार सृजन, सामाजिक स्वीकृति और ऊर्जा परिवर्तन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

चुनौतियाँ

- **कौशल अंतराल**: अपतटीय पवन, बैटरी भंडारण और हाइब्रिड परियोजनाओं जैसी उन्नत तकनीकों के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों, तकनीशियनों एवं परियोजना प्रबंधकों की कमी।
- **सीमित प्रशिक्षण अवसंरचना**: कुछ संस्थान ही विशेषीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं; मौजूदा तकनीकी संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, उपकरणों और संकाय विशेषज्ञता की कमी है।
- **तेज़ तकनीकी परिवर्तन**: भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तीव्रता से विकसित होती तकनीकों के कारण निरंतर कौशल उन्नयन आवश्यक है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं।
- **एजेंसियों के बीच समन्वय**: क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य एजेंसियों, निजी क्षेत्र और अकादमिक संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है, जो प्रायः विखंडित होता है।
- **वित्तीय बाधाएँ**: प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान और कौशल विकास पहलों के लिए वित्त पोषण सीमित है, विशेष रूप से छोटे राज्यों में।
- **कुशल कार्यबल का पलायन**: प्रशिक्षित कर्मियों का अन्य क्षेत्रों या विदेशों में जाना क्षमता निर्माण प्रयासों के प्रभाव को कम करता है।

सरकारी पहलें

- **ग्रिड समावेशन योजना**: भारत का ग्रिड ₹2.4 लाख करोड़ के ट्रांसमिशन प्लान के माध्यम से पुनः परिकल्पित किया जा रहा है, जो नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों को मांग केंद्रों से जोड़ता है।
  - सरकार राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से नई उच्च क्षमता ट्रांसमिशन लाइनों और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में निवेश को प्राथमिकता दे रही है।
  - ये परियोजनाएं बहुवर्षीय प्रयास हैं, लेकिन एक बार चालू होने पर ये 200 GW से अधिक नई नवीकरणीय क्षमता को सक्षम करेंगी।
- **2032 तक की दृष्टि**: सरकार ने पहले ही उच्च-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कॉरिडोर के निर्माण और अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को 120 GW (वर्तमान) से बढ़ाकर 143 GW (2027) और 168 GW (2032) तक करने की योजना बनाई है।
- **प्रोत्साहन**: घरेलू विनिर्माण को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, घरेलू सामग्री आवश्यकता, शुल्कों की अधिरोपण और पूंजी उपकरणों पर शुल्क छूट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे आयात निर्भरता कम हो रही है।
- **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)**: सौर पीवी, सौर तापीय और हाइब्रिड तकनीकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं एवं अनुसंधान समर्थन प्रदान करता है।
- **राज्य नोडल एजेंसियों (SNAs) के लिए क्षमता निर्माण**: परियोजना क्रियान्वयन, निगरानी और नीति प्रवर्तन के लिए राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता।
- **अनुसंधान और नवाचार समर्थन**: बैटरी भंडारण, हाइब्रिड परियोजनाओं, अपतटीय पवन और ग्रीन हाइड्रोजन में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम**: ज्ञान विनिमय के लिए IRENA, GIZ और अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग।

आगे की राह

- राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में बड़े हाइब्रिड और ReNew की राउंड-द-क्लॉक (RTC) परियोजनाएं क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रही हैं।
- अपतटीय पवन और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज को गति मिल रही है।
- PM सूर्यघर और PM कुसुम के अंतर्गत वितरित सौर और एग्रोवोल्टिक पहलों से ग्रामीण भागीदारी गहराई ले रही है।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नवीकरणीय ऊर्जा को औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन से जोड़ रहा है।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण III के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का समावेशन।

निष्कर्ष

- विगत दो वर्षों में नीति का ध्यान केवल क्षमता वृद्धि से हटकर प्रणाली डिज़ाइन की ओर सचेत रूप से स्थानांतरित हुआ है।
- ये सुधार ट्रांसमिशन उपयोग को अनुकूलित करने और विलंबित नवीकरणीय परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में निर्णायक कदम हैं, जो इस क्षेत्र की प्रमुख क्रियान्वयन चुनौतियों को सीधे संबोधित करते हैं।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संदर्भ

- ईरान ने आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के एक कन्वेंशन से जुड़ने के लिए एक कानून को मंजूरी दी।

परिचय

- **स्वीकृति**: इसे 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह 2002 में प्रभाव में आया।
- **उद्देश्य**: आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करना।

- **मुख्य विशेषताएँ**
  - **वित्तपोषण का अपराधीकरण**: ऐसे धन उपलब्ध कराना जिनके उपयोग से आतंकवादी गतिविधियों संचालित होती है या जिसकी जानकारी हो कि ऐसा किया जाएगा।
  - **न्याय क्षेत्राधिकार**: देशों को अपने क्षेत्र में, अपने नागरिकों द्वारा या अपने जहाज़ों/विमानों पर किए गए अपराधों पर न्याय क्षेत्र स्थापित करना होगा।
  - **प्रत्यर्पण और सहयोग**: अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुलभ बनाता है और जांच व अभियोजन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - **निवारक उपाय**: देशों को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े धन को फ्रीज़ करने और वित्तपोषण को रोकने के लिए जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत

- भारत ने इस कन्वेंशन को 2003 में अनुमोदित किया। यह भारत के विधिक ढांचे को समर्थन देता है, विशेष रूप से गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 और धन शोधन विरोधी कानूनों के अंतर्गत।

Source: TH

ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली

संदर्भ

- भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक (DCGI) ने उच्च-जोखिम वाले सॉल्वेंट्स की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली (ONDLS) पर डिजिटल निगरानी का निर्देश दिया है।

ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली

- ONDLS भारत में एक एकल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो औषधि और प्रसाधन संबंधी निर्माण एवं बिक्री लाइसेंस तथा विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।
- यह उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (CDAC) द्वारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के समन्वय में विकसित किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - **डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली**: ONDLS पोर्टल अब औषधि निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सॉल्वेंट बैचों की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
  - **अनिवार्य पंजीकरण**: सभी राज्य औषधि नियामकों और औषधि निर्माताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  - **बैच-वार डिजिटल रिकॉर्ड**: प्रत्येक सॉल्वेंट बैच को डिजिटल रूप से लॉग किया जाना चाहिए, जिसमें बैच नंबर, मात्रा, विश्लेषण प्रमाणपत्र (CoA), विक्रेता या खरीदार की जानकारी जैसी विवरण शामिल हों।
  - **पूर्व-बाजार सत्यापन**: राज्य नियामकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बैच तब तक जारी न किया जाए जब तक कि डेटा पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित न हो जाए।

Source: TH

भारतीय रेलवे द्वारा रीयल-टाइम हीट-मैपिंग और भीड़ नियंत्रण प्रणाली लागू

समाचार में

- छठ पूजा के दौरान वार्षिक प्रवासन में भारी वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने 35 प्रमुख स्टेशनों पर एआई-आधारित रीयल-टाइम हीट-मैपिंग और भीड़ नियंत्रण प्रणाली शुरू की है।

पहल के बारे में

- **प्रयुक्त तकनीक**: भीड़ की सघनता और गति के पैटर्न का पता लगाने के लिए एआई-सक्षम सीसीटीवी एनालिटिक्स, थर्मल सेंसर और रीयल-टाइम डेटा डैशबोर्ड का उपयोग किया गया है।
- **कार्यप्रणाली**:
  - प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स के हीट मैप तैयार करता है, जो भीड़भाड़ के स्तर को दर्शाते हैं।

- स्टेशन प्रबंधकों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को त्वरित भीड़ नियंत्रण के लिए स्वचालित अलर्ट भेजता है।
- समन्वय के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 और एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (ISS) से जुड़ा हुआ है।

- **कवरेज**: दिल्ली, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई जैसे उच्च यातायात वाले स्टेशनों पर लागू किया गया है।

Source: TH

क्वांटम इकोज़ एल्गोरिथम

संदर्भ

- गूगल का दावा है कि उसके क्वांटम प्रोसेसर "विलो" ने प्रथम सत्यापित क्वांटम लाभ (Quantum Advantage) प्राप्त किया है—ऐसा कार्य किया है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है।

परिचय

- विलो ने क्वांटम प्रतिध्वनियाँ एल्गोरिदम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों की तुलना में 13,000 गुना तेज़ गति से चलाया।
- क्वांटम प्रतिध्वनियाँ एक विशेष एल्गोरिदम है जिसे क्वांटम प्रणाली में जानकारी के फैलाव और अव्यवस्था को समझने के लिए विकसित किया गया है।
- यह वैज्ञानिकों को अराजक क्वांटम प्रणालियों में जानकारी को "अनस्क्रैम्बल" करने में सहायता करता है ताकि वे अंतर्निहित नियमों (Hamiltonian) को समझ सकें।

महत्व

- गूगल का विलो क्वांटम प्रोसेसर एक कार्य को विश्व के सबसे तीव्र पारंपरिक सुपरकंप्यूटर की तुलना में 13,000 गुना तेज़ गति से चला पाया। जहाँ पारंपरिक सिमुलेशन में 3 वर्ष से अधिक लगते, विलो ने यह कार्य कुछ घंटों में पूरा कर लिया।
- यह जटिल क्वांटम प्रणालियों को समझने, नए पदार्थों का अध्ययन करने और संभावित रूप से दवाओं की खोज में सहायता करता है।
- यह व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटिंग और वास्तविक विश्व के अनुप्रयोगों की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विलो

- विलो एक सुपरकंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर है जिसे गूगल ने विकसित किया है। यह गणनाओं को करने के लिए पारंपरिक बिट्स की बजाय क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) का उपयोग करता है।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - क्यूबिट्स के बीच उलझाव (Entanglement) और क्वांटम इंटरफेरेंस उत्पन्न कर सकता है।
  - जटिल क्वांटम गणनाओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनसे पारंपरिक कंप्यूटर जूझते हैं।
  - क्वांटम प्रतिध्वनियाँ एल्गोरिदम जैसे प्रयोगों में उपयोग किया गया है ताकि क्वांटम अराजकता का अध्ययन किया जा सके।

Source: TH

रक्षा खरीद मैनुअल (DPM)

समाचार में

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 का शुभारंभ किया।

रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025

- यह खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
- यह सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय की इकाइयों में ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद की निगरानी करेगी।
- यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और रक्षा निर्माण में MSMEs और स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने पर बल देती है।

संशोधित रक्षा खरीद प्रक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएँ

- **व्यापार में सुविधा**: निर्णय लेने की प्रक्रिया को तीव्र करने और नौकरशाही विलंब को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे विक्रेताओं की भागीदारी आसान हो सके।

- **दंड में शिथिलता**: प्रमुख डिलीवरी में देरी के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (LD) की सीमा 10% निर्धारित की गई है, और स्वदेशीकरण परियोजनाओं के लिए यह अब प्रति सप्ताह 0.1% कर दी गई है, जो पहले 0.5% थी।
- **दीर्घकालिक आदेश**: स्वदेशी रूप से विकसित वस्तुओं को अब पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक के लिए सुनिश्चित आदेश मिल सकते हैं।
- **NOC की आवश्यकता नहीं**: ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे विक्रेताओं की भागीदारी सरल हुई है और प्रक्रियात्मक बाधाएँ कम हुई हैं।
- **खरीद सीमा**: ₹50 लाख तक की खरीद के लिए अब सीमित निविदा पूछताछ की अनुमति है, जबकि उच्च मूल्य की खरीद केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकेगी।
- **विकास प्रावधान**: जहाज मरम्मत और विमानन ओवरहॉल कार्यों को अब 15% की अग्रिम वृद्धि भत्ता का लाभ मिलेगा, जिससे प्लेटफॉर्म की तत्परता बढ़ेगी।
- **संरचित प्रारूप**: प्रक्रियाओं को दो खंडों में विभाजित किया गया है—खंड I में मुख्य प्रावधान शामिल हैं, जबकि खंड II में प्रपत्र, परिशिष्ट और सरकारी आदेश शामिल हैं।

जोड़े गए नए अध्याय

- नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की खरीद
- परामर्श और गैर-परामर्श सेवाएँ

Source: TH

कसावा/टैपिओका फसलें

संदर्भ

- एक सूक्ष्म परजीवी ततैया, एनागाइरस लोपेज़ी, का सफलतापूर्वक उपयोग टैपिओका बागानों में आक्रामक कैसावा मिलीबग के जैविक नियंत्रण के लिए किया गया है।

परिचय

- कसावा, जिसे सामान्यतः टैपिओका के नाम से जाना जाता है, एक लकड़ीदार बहुवर्षीय झाड़ी है।
- **वैज्ञानिक नाम**: मनिहोट एस्कुलेंटा (Manihot esculenta)
- **उत्पादन**: भारत में यह लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें तमिलनाडु और केरल 90% से अधिक उत्पादन में योगदान करते हैं।
  - भारत की "एक जिला एक उत्पाद" (ODOP) योजना के अंतर्गत , कसावा को केरल और तमिलनाडु के कई जिलों के लिए एक प्रमुख फसल के रूप में चिन्हित किया गया है।
- **उत्पत्ति**: माना जाता है कि इसका मूल लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से ब्राज़ील और अमेज़न बेसिन में है।
- **एशिया में प्रवेश**: पुर्तगाली व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी में कसावा को भारत में पेश किया। **सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक**: नाइजीरिया विश्व का सबसे बड़ा कसावा उत्पादक है और थाईलैंड वैश्विक स्तर पर टैपिओका स्टार्च का सबसे बड़ा निर्यातक है।

टैपिओका

- टैपिओका कसावा की जड़ से निकाला गया स्टार्च है, जो विश्वभर में खाना पकाने, बेकिंग और पेय पदार्थों के उत्पादन में एक बहुपयोगी घटक के रूप में कार्य करता है।
- यह एक ग्लूटन-मुक्त और अनाज-मुक्त उत्पाद है, जिसका स्वाद तटस्थ होता है, जिससे यह पाक उपयोगों एवं आहार आवश्यकताओं दोनों के लिए मूल्यवान बनता है।

Source: TH

"मीथेन पर एक दृष्टि: मापन से गति की ओर" का पाँचवाँ संस्करण

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी प्रमुख प्रकाशन श्रृंखला का पाँचवाँ संस्करण — "मीथेन पर एक दृष्टि: मापन से गति की ओर" जारी किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO) द्वारा तैयार किया गया है।

2025 रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों से मीथेन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है, जबकि लागत-कुशल शमन तकनीकें उपलब्ध हैं।
- मीथेन की ऊष्मा क्षमता 20 वर्षों की अवधि में CO_2 की तुलना में 80 गुना अधिक होती है।
- वर्तमान मीथेन उत्सर्जन का लगभग 60% मानव गतिविधियों से उत्पन्न होता है, जिसमें सबसे बड़े योगदानकर्ता कृषि, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और उपयोग, तथा लैंडफिल अपशिष्ट हैं।
- रिपोर्ट में मीथेन डेटा को राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों (NDCs) और पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक मूल्यांकन में एकीकृत करने का आह्वान किया गया है।
- रिपोर्ट भारत की प्रभावी भूमिका को वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (GMP) में रेखांकित करती है, और SATAT, राष्ट्रीय बायोगैस मिशन, तथा अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से इसके प्रयासों को उजागर करती है।

Source: DTE

अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025

संदर्भ

- भारत ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रव्यापी अभियान "#23for23" चलाया गया।

परिचय

- 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस घोषित किया, ताकि इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- '#23for23' अभियान ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट वर्ल्डवाइड की एक पहल है।

हिम तेंदुआ (Panthera uncia) के बारे में

- **शारीरिक विशेषताएँ**: हिम तेंदुआ कठोर, ठंडे वातावरण के अनुकूल होते हैं।
  - इनका मोटा फर, मजबूत शरीर और लंबी पूँछ होती है, जो संतुलन एवं गर्मी बनाए रखने में सहायक होती है।
- **आवास**: ये एशिया के 12 देशों के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
  - इन्हें प्रायः 'पहाड़ों के भूत' कहा जाता है क्योंकि इन्हें देखना अत्यंत दुर्लभ होता है।
- **जनसंख्या**: वैश्विक जनसंख्या का अनुमान 4,500–7,500 के बीच है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 10–15% है।
  - भारतीय हिमालय में प्रथम बार किए गए हिम तेंदुआ जनगणना में 718 हिम तेंदुआ दर्ज किए गए, जिनमें से अकेले लद्दाख में 477 पाए गए।
- **संरक्षण स्थिति**:
  - IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Vulnerable)
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I प्रजाति

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-I (1975 से)
- प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS): परिशिष्ट-I (1986 से)

- **खतरे**: जलवायु परिवर्तन, आवास क्षति, शिकार की कमी, प्रतिशोधात्मक हत्या और अवैध शिकार।
- **महत्व**: हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु।

संरक्षण पहलें

- **बिश्केक घोषणा**: "हिम तेंदुआ और पर्वतों की देखभाल: हमारा पारिस्थितिक भविष्य" शीर्षक से 12 हिम तेंदुआ क्षेत्र देशों द्वारा हस्ताक्षरित, जिनमें सभी पाँच मध्य एशियाई देश शामिल हैं।
- **समरकंद प्रस्ताव 2024**: हिम तेंदुआ संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की आठवीं संचालन समिति बैठक में अपनाया गया।
- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)**: भारत की एक पहल, जो हिम तेंदुआ सहित सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को अनुसंधान सहयोग, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देती है।
- **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009)**: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक प्रमुख योजना, जो उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के परिदृश्य-आधारित प्रबंधन पर केंद्रित है।

Source: DD News

गुलदाउदी के फूल या गुल-ए-दाऊद

समाचार में

- कश्मीर का नया गुलदाउदी उद्यान, बाग-ए-गुल-ए-दाऊद ज़बरवान पर्वत श्रृंखला के पास खुलेगा, जिसमें 50 से अधिक किस्मों की 30 लाख से अधिक कलियाँ खिलेंगी।

गुलदाउदी (Chrysanthemum)

- यह Asteraceae परिवार का एक बहुवर्षीय फूलदार पौधा है।
- यह चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका में इसके औषधीय गुणों और सुगंधित पेय पदार्थों में उपयोग के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- यह फिनोलिक यौगिकों से भरपूर होता है और इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी, सूजन-रोधी, कैंसर-रोधी और अन्य उपचारात्मक गतिविधियाँ पाई जाती हैं।

Source: IE

खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

समाचार में

- भारत को यूनेस्को के खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पार्टियों के सम्मेलन (COP10) के 10वें सत्र के दौरान एशिया-प्रशांत (समूह IV) का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। यह सत्र पेरिस में कन्वेंशन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

- यूनेस्को का खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) एक बहुपक्षीय संधि है, जिसके अंतर्गत देश खेलों में डोपिंग को रोकने और समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों को अपनाने पर सहमत होते हैं।
- यह कन्वेंशन यूनेस्को के 33वें महासम्मेलन (19 अक्टूबर 2005) के दौरान अपनाया गया था और 1 फरवरी 2007 को प्रभाव में आया।
- प्रारंभिक रूप से 30 देशों द्वारा अनुमोदित इस कन्वेंशन को अब 192 देशों ने स्वीकार कर लिया है, जिससे यह यूनेस्को की दूसरी सबसे अधिक अनुमोदित संधि बन गई है।

- यह खेलों में ईमानदारी को बढ़ावा देने और डोपिंग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है।

उद्देश्य

- यह सभी खिलाड़ियों के लिए समान और सुरक्षित खेल वातावरण प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग विरोधी कानूनों, दिशानिर्देशों, विनियमों और नियमों को समरूप बनाने का लक्ष्य रखता है।
- यह देशों को खेलों में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, प्रतिबंधित पदार्थों की पहुंच को सीमित करना, डोपिंग नियंत्रण और राष्ट्रीय परीक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करना, और पूरक वितरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
- यह डोपिंग विरोधी शिक्षा और अनुसंधान का भी समर्थन करता है।

Source:PIB

■■■

NEXT IAS